

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-लेखा/विविध/मुख्यालय/2015/

दिनांक :

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर

विषय :- अधिनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों पर समेकित पारिश्रमिक
पर संविदा पर पुर्ननियुक्ति के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राज0 जयपुर के पत्रांक प-17/(15) चि.स्वा./2/2009 दिनांक 16.12.2014 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यालयों में अधिनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों के विरुद्ध राजस्थान सेवा/पेंशन नियम 1996 के नियम 164 ए एवं कार्मिक विभाग के क्रमांक एफ17(10) डीओपी/ए-II/94 दिनांक 26.05.2014 में विहित शर्तों के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2015 तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक सेवानिवृत्त पात्र कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर पुर्ननियुक्ति हेतु निदेशालय की ओर से दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 16.01.2015 एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.01.2015 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है तथा आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 28.01.2015 निर्धारित हैं।

रिक्त पदों की सूचना, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें विभाग की

वैबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध हैं।

अतः इच्छुक अधिनस्थ लेखा सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों को जोन कार्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र कार्मिक विभाग के परिपत्र 26.05.2014 के अनुसार उपलब्ध कराने का श्रम करें।

31-

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक/लेखा/विविध/मुख्यालय/2015/73

दि. 19-01-2015 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को भेजकर लेख है कि कृपया विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करें।

31-

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर